

द्वारा प्रतिवादी सं. प-९ की तलबी
अखबार में सापबंद करवा कर अखबार
की प्रति पेश नहीं की है पत्रावली
नोटीस प्रकाशन की सूचना दिनांक
०२-५-१८ को पेश है।

०२-५-१८

वकील उभय पक्ष उपस्थित। पीठासीन
अधिकारी... १०.५.१८ को पेश है। पत्रावली
पूर्वानुसार दिनांक... १०.५.१८ को पेश है।

१०.५.१८

वकील उभय पक्ष। वकील वादी को
प्रतिवादी संख्या प से ९ की तलबी हेतु
समग तलबाना पेश करने हेतु दिनांक ११-५-१८
से समप दिया जा रहा है। न्यायालय के कार्रवाई
की पालना न करने हेतु वकील वादी द्वारा
प्रतिवादी सं. प से ९ के समग पेश नहीं किने
गये। इसके पश्चात् वकील वादी के निवेदन पर
दिनांक १५-५-१८ को प्रतिवादी सं. प से ९ की
तलबी अखबार में सापबंद करवा कर हेतु दिनांक १५
गई एवं अखबार की प्रति पेश करने की दिनांक
दी गई। वकील वादी द्वारा पांच पेशी के अवसर
दिने जाने के पश्चात् भी प्रतिवादी सं. प से ९
की तलबी अखबार में सापबंद करवा कर अखबार
की प्रति पेश नहीं की गई। वकील वादी द्वारा बार-बार
अवसर पाये, प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक
विलम्ब करने एवं न्यायालय के कार्रवाई की पालना
नहीं करने पर प्रकरण अदम तकमील में स्थापित
किया जाता है पत्रावली निसलक्ष्य होकर वादतकमील
कार्रवाल दफ्तर है।

(अध्यापक प्रदीप)
अखबार के कार्रवाई